




इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र

यह अनुमति केवल 1050 नगर नियोजन तथा विनियम अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत ही जारी है, किन्तु अर्थात् यह न समझना चाहिये कि उस प्राप्ति के समान्य में जिन पर मजरा को इतरों की ओर अंतरण का दिनांक स्थानीय विकास या इलाहाबाद स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा कर्म के अधिकारों आधिकारों पर किसी का कोई अधिकार नहीं होगा अर्थात् यह अनुमति किसी के प्राधिकार या स्वाधिकार के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

निम्नलिखित प्रतिनियों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्री हेमन्त कुमार
पिता/पति का नाम श्री श्री. जयप्रकाश कुमार
सुखला डी.डी. 108/कई गृह नम्बर 108/कई/148

में गृह में दखिन स्थान पर जो मूर्धन्य के साथ प्रस्तावित किया गया है, स्थिति के विवरण भवन नियम के अनुसार निर्माण अथवा पुनः निर्माण के लिए है।



श्री. सचिव
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
इलाहाबाद






नोट :- अंकित प्रतिनियों के लिए है।

1. यह स्वीकृत यह केवल नौ वर्ष की अवधि के लिए है। यदि भवन का निर्माण स्वीकृत मानाचित्र के अनुसार नहीं किया जाता है तो उसे विरामित जा सकता है। जिसका पूर्ण अर्थ धारा 27(1) पर होगा। यदि कोई इमारत किन्हीं सार्वजनिक विकास प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होगी तो उसके नियंत्रणों को गृह विभाग द्वारा अथवा इतर प्रकार की यह अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत स्थानीय होगा तथा स्थिति विनियम प्राधिकरण द्वारा इच्छा किया जायेगा और उसके तहत के कार्य का भार उस इमारत बनाने वाले से 10 प्रतिशत गैर-गुप्त के साथ तब तक लिया जायेगा।
2. इस अनुमति-पत्र में लड़क, गली या नाली पर बढ़ा कर प्रयोज्यम जैसे कि मोर्टिको, कारज, तोड़ना, सीढ़ी, जल नली अथवा पुनः निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण की स्वीकृति चाहे उसके साथ नये नये विस्काई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी।
3. भवन निर्माण से यदि नाली के राइड की नली अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मजरा के अन्तर्गत गिरावड़े अथवा उसके आकार के कारण बंद गई हों) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी दायर हो जाने पर 15 दिन के भीतर अपना यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और सीधे तौर पर पहले ही उसे अपने खर्च से नरामत कर पुरवण आवश्यकता जिसे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
4. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखा होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल रूल 1935) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी अंश में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटाना सकता है।
5. धारा की नियमानुसार विकास प्राधिकरण को भवन की छत तक तथा उस तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना भवन आकार होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में भवन निर्मित हुआ है।
6. यदि निर्माण में ग्राहक द्वारा का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को ही नई स्वीकृति सह समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत धरित पर उक्त अधिनियम की धारा 27(1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

कमांक-7 स्थल पर एकल आवासीय निर्माण किया जायेगा, अन्य निर्माण अथवा उपबन्धों पाये जाने पर मानाचित्र स्वतः निरस्त राखा जायेगा।
कमांक-8 स्थल पर रेड लाइनिंग/सेट बैंक हेतु छोड़े गये ओपन भाग में कोई भी निर्माण नहीं किया जायेगा।

*Recommended
Home No. 108/1000*

श्री. सचिव
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
इलाहाबाद



OLD EXISTING PLAN (TO BE DEMOLISHED) SCALE: 1:200

CERTIFIED THAT THIS MAP IS AS PER PROVISIONS OF MASTER PLAN 2021 AND UPVIDH 2008.

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING PLAN ON PART OF FREE HOLD PLOT NO. 100, PART OF PLOT NO. 2, AT LUKERGANI, ALLAHABAD

DRG. NO. HMC/PROP.-43/22/JAN.-10

SHEET NO. 1

DATE: 11.10.11

SCALE: 1:100

CHECKED BY: [Signature]

DEALT BY: [Signature]

OWNER: SRI HEMANT KUMAR

96 LATE HUNDRAJ MAL

27/7/11, A. N. P. A. ROAD, LUKERGANI, ALLAHABAD.

REG. NO. HMC/PROP.-43/22/JAN.-10

AREA STATISTICS

S. NO.	DESCRIPTION	AREA (SQ. M)
1	TOTAL PLOT AREA	4500.00
2	PROPOSED COVERED AREA	2100.00
3	PROPOSED OPEN TERRACE AREA	2400.00
4	PROPOSED OPEN TERRACE AREA	2400.00
5	PROPOSED OPEN TERRACE AREA	2400.00
6	PROPOSED OPEN TERRACE AREA	2400.00
7	PROPOSED OPEN TERRACE AREA	2400.00
8	PROPOSED OPEN TERRACE AREA	2400.00
9	PROPOSED OPEN TERRACE AREA	2400.00
10	PROPOSED OPEN TERRACE AREA	2400.00
11	PROPOSED OPEN TERRACE AREA	2400.00
12	PROPOSED OPEN TERRACE AREA	2400.00
13	PROPOSED OPEN TERRACE AREA	2400.00
14	PROPOSED OPEN TERRACE AREA	2400.00
15	PROPOSED OPEN TERRACE AREA	2400.00
16	PROPOSED OPEN TERRACE AREA	2400.00
17	PROPOSED OPEN TERRACE AREA	2400.00
18	PROPOSED OPEN TERRACE AREA	2400.00
19	PROPOSED OPEN TERRACE AREA	2400.00
20	PROPOSED OPEN TERRACE AREA	2400.00
21	PROPOSED OPEN TERRACE AREA	2400.00
22	PROPOSED OPEN TERRACE AREA	2400.00
23	PROPOSED OPEN TERRACE AREA	2400.00
24	PROPOSED OPEN TERRACE AREA	2400.00
25	PROPOSED OPEN TERRACE AREA	2400.00
26	PROPOSED OPEN TERRACE AREA	2400.00
27	PROPOSED OPEN TERRACE AREA	2400.00
28	PROPOSED OPEN TERRACE AREA	2400.00
29	PROPOSED OPEN TERRACE AREA	2400.00
30	PROPOSED OPEN TERRACE AREA	2400.00
31	PROPOSED OPEN TERRACE AREA	2400.00
32	PROPOSED OPEN TERRACE AREA	2400.00
33	PROPOSED OPEN TERRACE AREA	2400.00
34	PROPOSED OPEN TERRACE AREA	2400.00
35	PROPOSED OPEN TERRACE AREA	2400.00
36	PROPOSED OPEN TERRACE AREA	2400.00
37	PROPOSED OPEN TERRACE AREA	2400.00
38	PROPOSED OPEN TERRACE AREA	2400.00
39	PROPOSED OPEN TERRACE AREA	2400.00
40	PROPOSED OPEN TERRACE AREA	2400.00
41	PROPOSED OPEN TERRACE AREA	2400.00
42	PROPOSED OPEN TERRACE AREA	2400.00
43	PROPOSED OPEN TERRACE AREA	2400.00
44	PROPOSED OPEN TERRACE AREA	2400.00
45	PROPOSED OPEN TERRACE AREA	2400.00
46	PROPOSED OPEN TERRACE AREA	2400.00
47	PROPOSED OPEN TERRACE AREA	2400.00
48	PROPOSED OPEN TERRACE AREA	2400.00
49	PROPOSED OPEN TERRACE AREA	2400.00
50	PROPOSED OPEN TERRACE AREA	2400.00

FOUNDATION DETAIL (SCALE: 1:50)

KEY PLAN N.T.S.

PROPOSED COVERED AREA SHOWN THUS
OLD WALLS REMAINS AND A FOUNDATION
RAIN WATER PIPE SHOWN THUS

OWNER: SRI HEMANT KUMAR
96 LATE HUNDRAJ MAL
27/7/11, A. N. P. A. ROAD, LUKERGANI, ALLAHABAD.

REG. NO. HMC/PROP.-43/22/JAN.-10